

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-वर्ष-2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो- चन्द्रकान्त साधव
2. वर्तमान धारित पद- संयुक्त संचालक पदेन उप सचिव
3. वर्तमान वेतन- रु. 1,38,500/-
4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख- जुलाई-2024

उस जिले, उप संभाग का, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार के तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	HIG-24 गौतम नगर, भोपाल	-	रु. 160.00 लाख (लगभग)	स्वयं के नाम पर	म.प्र. गृह निर्माण मण्डल से क्रय	स्वयं के निवास हेतु उपयोग	म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्र.-23/4629/ 07/32 दिनांक-20.01.2008 द्वारा अनुमति प्राप्त
इन्दौर	भूखण्ड/भवन 82-ए बसंत विहार, इन्दौर	-	रु. 125.00 लाख (लगभग)	पत्नी एवं स्वयं के नाम पर	27 जुलाई 2015 में क्रय	निरंक	म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्र.एफ-7-28/2015/18-5 दिनांक-25.12.2015 द्वारा अनुमति प्राप्त भवन निर्माण की सूचना दिनांक-23.01.2018 को दी गई

* जहां लागू न हो काट दिजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।
 टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम- चन्द्रकान्त साधव

पदनाम- संयुक्त संचालक पदेन उप सचिव

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- सुनील जॉन मिंज
3. वर्तमान वेतन 73200/+ डीए

2. वर्तमान धारित पद- सहायक संचालक
4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख- जुलाई 2024

उस जिले, उस संभाग का तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किस प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
एल.आई.जी.-97 भारती निकेतन, गोविन्दपुरा भोपाल	आवासीय भवन	—	रु. 60,00,000 / अनुमानित	पैतृक सम्पत्ति (माता-पिता के नाम पर) जिसमें तीन भाईयों का हिस्सा है।	पिता जी द्वारा कय किया गया।	स्वयं के उपयोग हेतु	—
फ्लेट नं. 303 टावर नं. i, iii floor अवतिका होम्स, दानिश कुंज चौराहा कोलार रोड भोपाल,	आवासीय 3 BHK फ्लेट	—	रु. 15,00,000 /	स्वयं के नाम पर है। 10 प्रतिशत राशि स्वयं के बचत से तथा 90 प्रतिशत राशि भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया गया है।	अवतिका बिल्डर्स से कय किया गया।	रु. 1,44,000 /	—
फ्लेट नं. 304 टावर नं. ii, iii floor अवतिका होम्स, दानिश कुंज चौराहा कोलार रोड भोपाल,	आवासीय 3 BHK फ्लेट	—	रु. 15,00,000 /	पत्नी श्रीमती बेनेनिया मिंज के नाम पर है। 10 प्रतिशत राशि स्वयं के बचत से तथा 90 प्रतिशत राशि भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया गया है।	अवतिका बिल्डर्स से कय किया गया।	रु. 96,000 /	—
ग्राम -बरखेडी तहसील-श्यामपुर जिला-सीहोर खसरा क. 212/9/2		कृषि भूमि 0.3035 हैक्टर	रु. 6,50,000 /	पत्नी श्रीमती बेनेनिया मिंज द्वारा कय की है। बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड ऋण द्वारा लिया गया है।	नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सिद्धनाथ पाटीदार, निवासी - बरखेडी सिहोर, म.प्र. माह सितम्बर-2022 में कय किया गया।	—	—

- जहाँ लागू न हो उसे काट दिजिये।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी हैं।

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दे।

हस्ताक्षर.....

नाम- सुनील जॉन मिंज

पद नाम - सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय धार

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, सन् 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : ए.एस.के. मुंदरा
2. वर्तमान धारित पद : संयुक्त संचालक
3. वर्तमान वेतन : अगली वेतनवृद्धि की तारीख :

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
60, रोड नं. 213 जंगली भाकटे, नई दिल्ली	आवासीय भवन	आवासीय	1 अकोट अनु.	हो. श्री. एम. सी. मुंदरा (दादाजी)	वारिसीक अंतरा यथा की संयुक्त संपत्ति	निरंक	निरंक
ग्राम बाबाजि कावा, गोपाल भ. 10.	115 वर्ग मी.	आवासीय	48.0 लाख अनु.	भौमिनी अनिता मुंदरा (पत्नी)	ग्राम मंदारपुरा रा. 50 प. 65 वर्ग मी. गुजरात वि. 100 का अवतुल 2010 के अनु. नि. 1	निरंक	दिनांक 1.4.11 को अनु. कावे की भूच. संचालन नम. नि. 100
ग्राम बाबाजि कावा, गोपाल	35 वर्ग मी.	दुकान	30.0 लाख अनु.	स्वयं के नाम पर	रा. 100 वर्ग मी. के माध्यम से अनु. लेख एजी 8	पञ्चास हजार मात्र.	आगत के नाम 7-29/15/19-5 दिनांक 30.5.18
ग्राम बरसोडा पठानी, नई दिल्ली, गोपाल	आवासीय भवन	आवासीय	25.0 लाख	भौमिनी अनिता मुंदरा	वर्ष 2019 के अनु. ओ. 100 का अनु. 135 वर्ग मी. का रा. 100 का	वीज खाता मात्र	आगत के नाम 5. 7-6/2019/18-5 05.9.19

जहां लागू न हो फाट दीजिए।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : पञ्चायत शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके सहायक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अर्जित की गई है।

हस्ताक्षर : ए.एस.के. मुंदरा
 नाम : ए.एस.के. मुंदरा
 पद : 01.01.24

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-वर्ष-2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो- विष्णु खरे
3. वर्तमान वेतन- रु. 1,28,000/- + महंगाई भत्ता

2. वर्तमान धारित पद- संयुक्त संचालक
4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख- जुलाई-2024

उस जिले, उप संभाग का, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि सर्वय के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार के तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1- इन्दौर	-	आवासीय प्लॉट महालक्ष्मी नगर 1000 वर्गफीट	-	स्वयं	दादीजी से प्राप्त	निरंक	-
2- भोपाल	बी-67 शाहपुरा में 45X80 के प्लॉट पर निर्मित भवन	-	-	बड़े भाई के साथ संयुक्त रूप से धारित।	पिताजी का स्वर्गवास के बाद मेरे और बड़े भाई के नाम नामांतरण से	15000/- प्रति माह किराए से	-
3- ग्वालियर	बी-208 में सैफायर होम में एक फ्लैट	-	-	स्वयं	शासन से अनुमति लेकर एवं बैंक से लोन लेकर मार्च-2012 में क्रय किया	12500/- प्रति माह किराए से	-
4- ग्राम खरवई जिला विदिशा	-	खसरा नं. 13 में से रकबा 1.672 हेक्टे.	-	स्वयं	शासन से अनुमति लेकर एवं बैंक से लोन लेकर 26.04.2019 को क्रय की गई।	2,00,000 / - प्रतिवर्ष	-
5- इन्दौर	कनक ऐवन्यू ग्राम लसुडिया मोरी में 1150 वर्गफीट प्लॉट ए-78	प्लॉट	-	स्वयं	शासन से अनुमति लेकर परिवारजनों से राशि लेकर दिनांक 24.02.2020 को क्रय किया गया।	-	-
6- छतरपुर	ग्राम बगौता जिला छतरपुर में पुश्तैनी मकान एवं खुली भूमि 4800 वर्गफीट खसरा क्र. 1425/5 एवं 1685/1/3	-	-	बड़े भाई के साथ संयुक्त रूप से धारित।	पिताजी का स्वर्गवास के बाद मेरे और बड़े भाई के नाम नामांतरण से	-	-

* जहां लागू न हो काट दिजिए।

- "" ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
"" इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....*Khawar*
31/7/2024.....

नाम- विष्णु खरे
पदनाम- संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष Jan. 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सुप्रिया पंडके उप सचिव

2. वर्तमान धारित पद

उप संचालक न. ब्रा. सि. ग. प्र.

3. वर्तमान वेतन 107300/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1. July 2024

उपर सचिव न. ब्रा. सि. ग. प्र. विभाग

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - कोपाल संभाग - कोपाल तह - हुजूर ग्राम - कोपाल	फ्लैट-उप फ्लोर 2/7 "अवकाश" शालीमार ब्लॉक E-3, अवका कोलोनी कोपाल	मिरात	लगा कर 16 मीटर रुपय	फ्लैट संयुक्त रूप से आजय पंडके (पति) एवं सुप्रिया पंडके (स्वयं) के नाम धारित है	फ्लैट को शालीमार मिरात कोपाल सं दिनांक 08-02-1993 को क्रय किया गया	मिरात	उक्त फ्लैट में हम रहते हैं

* जहां लागू न हो, काट दी जाए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचा यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

उप संचालक न. ब्रा. सि. ग. प्र.
मुने पंडेन उपर सचिव न. ब्रा. सि. ग. प्र.
विभाग मुने कचरा विभाग

Form-06- Revised 05/1/024

GAD Form- (A)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, यदि

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

इन्द्र नारायण

2. वर्तमान धारित पद

उप. संचालक भोपाल

3. वर्तमान वेतन 82,770/-

D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1/जुलाई/2024

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यक्ति		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यक्ति	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	घर तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	फ्लैट ग्राफ्ड	निरंक	16/-लाख	स्वयं	जी. पी. एफ. + बैंक लोन + अन्य	निरंक	-

* जहां लागू न हो, काट दो।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान तिथि के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक आदेश से यह अभिव्यक्ति है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आदेश महीने की अवधि के पर्याप्त पद धारणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके व्यापार की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौते हैं।

हस्ताक्षर

इन्द्र नारायण

नाम

उप. संचालक भो.

पद

नं. ग्रा. नि.

जिला का. अ. सिविली मज.

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.

अनीता कुरीडे

2. वर्तमान धारित पद

उप संचालक

3. वर्तमान वेतन ... 904.00/- ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, प्रदत्त, चंथक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल (156 ओल्ड अराका बाईन)	मकान	-	40 लाख भवन की अनुमानित लागत	स्वयं के नाम से	पिता का मकान दान द्वारा 7.50 लाख प्रतिफल रहित 14-11-11 को प्राप्त हुआ।	लगभग	बैंक द्वारा होम लोन 24 लाख प्लेटे विक्रय से आकाशवा 20 लाख रुपए खर्च की व्ययन से
इंदौर	-	फ्लैट	47,60,980	स्वयं के नाम से	इ. वि. डा. की योजना में लीज पर आवासीय अवकाश निविदा के माध्यम से दि. 29-9-11 को प्राप्त हुआ।	-	आ. एच. पी. के पत्र 7-56/2011 आ. एच. दि. 6-2-11 द्वारा अनुमति प्राप्त की गई
इंदौर	फ्लैट	-	29,16,288	स्वयं के नाम से	माताजी द्वारा इंदौर स्थित फ्लैट दि. 26-12-19 को दान के प्रतिफल रहित प्राप्त हुआ।	-	-

* जहां लागू न हो फाट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन प्रदत्त भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की तारीख के अंतर्गत यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से प्राप्त या कहे जा सकने वाले संबंध पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

अनीता कुरीडे

उप संचालक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा स सेवा का नाम जिसमें वह हो- सुनील नाथ

2. वर्तमान धारित पद- उप संचालक

3. वर्तमान वेतन- रु. 1,04,200/-

4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख-जनवरी-2024

उस जिले, उप संभाग का, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल तहसील- हुजूर जिला-भोपाल	आवासीय भवन	—	ज्ञात नहीं	स्वयं एव भाई श्री राजू नाथ के नाम पर पैत्रिक संपत्ति	पैत्रिक संपत्ति माती जी के देहान्त उपरान्त, म. प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना मंडल द्वारा दिनांक-31.10.2014 का नामांतरित किया गया है।	स्वयं के निवास हेतु	भवन के प्रथम तल का निर्माण छोटे भाई द्वारा कराया गया, उनकी सहमति से निवास कर रहा हूँ।

* जहां लागू न हो काट दिजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :-मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम- सुनील नाथ
पद नाम- उप संचालक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है : अपूर्वा गंगोई

2. वर्तमान भागीदार : सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन : 63100 : अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01-07-2024

उस जिले, उप विभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का स्थान तथा स्वरूप		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका आसक्तिकरण कर्मचारी से क्या संबंध है	उसके किस प्रकार अधिदे किया गया है (जरीदा, पट्टा, संभक, विरासत, धेट, या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिदे की गई हो उसका नाम तथा पत्नी)	धारिता से संबंधित आय	अधिवृद्धि
	ग्रह तथा अन्य माल	धरति					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① इटारसी जिला - होशंगाबाद	ग्रह	NA	60,00,000/-	श्रीमती गंगोई साठ लाख मात्र संबंध - माता	स्वरीदा गया :- शिव गंगकर तिवारी से दिनांक :- 2015	NA	NA

* - जहाँ सामान्य हो, फाट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान निर्धार के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश राजस्वीय सेवाएं (आमरण) विभाग, 1958 के नियम 70(3) के अधीन प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ सेवा के तत्पश्चात् प्राप्त से यह अधिदे है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक सात महीने की अवधि के परवाने पर मोटार-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके अधिदे की तथा उससे प्राप्त अर्जन, आय, वसुली विभागत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या संभक पर उसके द्वारा धारित लगत अवल सम्पत्ति के स्थिति है।

अपूर्ण : अपूर्वा गंगोई

पद : सहायक संचालक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: मोहन लाल वर्मा

2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन 73200 + DA... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक भाग	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोहन लाल वर्मा	गृह	-	1000000 रु	पुत्रवर्धन	-	-	-

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : माध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959-के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाना पत्र भर कर प्रस्तुत करें और साथ ही वह उनके स्थायित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम मोहन लाल वर्मा

पद सहायक संचालक

नगर निकाय निदेश
रतना

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष फरवरी 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.

जी. एल. कर्मा

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन . 73,200

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2024

उक्त जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया (खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा भूजिन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर)	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- जल सुराखेड़ी नद. नाबेर जिला-इन्दौर	भू. खण्ड	-	7,00,000	स्वयं एक पत्नी के संयुक्त नाम से	स्वयं जी. कृष्ण लाल दिव्यद्वारा से उधार एवं लोन	-	-
- डी. एल. एफ. गार्डन सिटी ग्राम - सुराखेड़ी नद. - नाबेर जिला - इन्दौर	-	-	28,00,000	स्वयं	कृष्ण लाल एवं लोन	-	-

हस्ताक्षर

(Signature)

नाम

जी. एल. कर्मा

पद

सहायक संचालक, संचालकालय, गणपाल (क.प्र.)

जहां तक न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के तदनुसार में तालुका मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : माध्यम देश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साढ़ माहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके भूमिगत को तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौते हैं।

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

दक्ष सनाह्य

2. वर्तमान भारित पद सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन 61,300/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01-07-2024

जहाँ जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा चौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया है खरीद, पट्टा, चंभक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा चौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

यहाँ तक न हो बाट दोजिए।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान निर्धारित के संदर्भ में सामान्य मूल्य बतलाया जाए।

द्वयमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणियाँ : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1957 के नियम 10(3) के अधीन प्रमाण श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनीकरण के पत्र पर 'कर प्रशस्त' करें और उसमें वह उनके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अर्जित अभयों की विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या चंभक पर उसके द्वारा भारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के तारीख दें।

हस्ताक्षर

नाम

दक्ष सनाह्य

पद

सहायक संचालक

संचालनालय

नगर तथा ग्राम निवेश

ओपन (मण्डल)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राधे

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. HRISHANA KHANT KUSHWAH2. वर्तमान धारित पद. Assistant Director3. वर्तमान वेतन. ₹. 1,04,211 अगला वेतनवृद्धि की तारीख. 01-07-2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gwalior	3BHK Flat	Flat	₹ 20,00,000 (GWS)	N/A	N/A	N/A	N/A

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाय या घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर. Kushwaनाम. Assistant Director

पद.

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा से सेवा का नाम जिसमें वह हो-सुनीता सिंह

2. वर्तमान धारित पद- संयुक्त संचालक

3. वर्तमान वेतन- रु. 1,38,500/-

4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख-जुलाई-2024

उस जिले, उप संभाग का तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
भोपाल,	आवासीय फ्लेट, शाहपुरा भोपाल	—	रु. 25.00 लाख	यह सम्पत्ति पति श्री प्रदीप भदौरिया के नाम से है।	MPEB से Loan द्वारा 1990 में BDA से कय किया गया।	—	—
भोपाल	आवासीय मकान, शाहपुरा भोपाल	50X80 का भूखण्ड, बी-272 शाहपुरा, भोपाल	रु. 30.00 लाख (लगभग)	संयुक्त सम्पत्ति है, यह मेरी माता, मेरे पति एवं स्वयं के नाम पर है।	बाग मुगालिया स्थित भू-खण्ड 50X80 एवं ई-7 स्थित भूखण्ड 50X60 को विक्रय कर भूखण्ड खरीदा गया है, यह भूखण्ड श्री संदीप माहेश्वरी का था।	स्वयं के निवास हेतु उपयोग में	—
भोपाल	वाणिज्यिक एवं आवासीय भवन बी-213, एम.पी नगर, भोपाल	—	रु. 30.00 लाख (लगभग)	यह सम्पत्ति संयुक्त रूप से मेरे ससुर एवं मेरे नाम थी दिनांक 07.07.2011 को उनका देहान्त होने के कारण अब यह सम्पत्ति विधि अनुसार मेरे एवं मेरे पति के नाम पर है।	P.N.B. से Loan लिया है, यह सम्पत्ति श्रीमती ग्रेबीला की थी	रु. 2.40 लाख (लगभग)	इस आयु से Loan चुकाया जाता है।
भोपाल	आवासीय वाणिज्यिक भूखण्ड	26X60 1500 वर्गफिट	72.00 लाख लगभग	स्वयं के नाम	आदित्य इस्टेट एवेन्यू से बैंक ऋण लेकर कय किया गया।	—	—

* जहां लागू न हो काट दिजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम- सुनीता सिंह 17/01/24
पद नाम- संयुक्त संचालक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष- 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : शेखर वि. कोह्य
2. वर्तमान धारित पद संयुक्त संचालक, ज. ग. नि. (क.)
3. वर्तमान वेतन 15600-39100+7600 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2024
- भोपाल (म.प्र.)
दिनांक: 462016

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>भोपाल (म.प्र.)</u>	<u>भवन फ्लैट</u>	<u>-</u>	<u>22.00</u>	<u>स्वयं के नाम पर जे.पी.एस. के तहत फ्लैट खरीदा गया है।</u>	<u>वर्ष- 1999-2000 स्वयं जे.पी.एस. के तहत फ्लैट खरीदा गया है।</u>		

- जहाँ लागू तारीख काट दी जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : यथाप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) विधम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनिवार्य है कि वह सेवा से पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह भोजनार्थ पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सभी अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम शेखर वि. कोह्य

पद संयुक्त संचालक, ज. ग. नि. (क.)

भोपाल (म.प्र.) - 16

फार्म
अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017-2018

For NVDA
Enclosed in File 22/2
मुख्य नगर मिश्रोज्ज
7/7/24

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित पद
बंदौर विकास प्राधिकरण 3. वर्तमान वेतन 8,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 7/7/24

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		•• वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया . खरीद, . पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
बंदौर	मकान	—	85 लाख	स्वयं एवं पति के नाम पर	स्वयं द्वारा खरीद कर मकान का निर्माण किया गया था।		

• जहां लागू न हो काट दीजिये।

•• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

•• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Bachary

नाम श्रीमती रत्ना चौधरी
पद मुख्य नगर मिश्रोज्ज, बंदौर
विकास प्राधिकरण, बंदौर (म.प्र.)

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष-2023-2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो:- नीरज आनंद लिखार, 2. वर्तमान धारित पद- मुख्य नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, सोपाल
3. वर्तमान वेतन रूपये.....अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2024

इस जिले, उप संभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	इसे किस प्रकार अर्जित किया। ***खरीद, पट्टा बंधक विरासत भेज या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
01	02	03	04	05	06	07	08
इन्दौर ग्राम खजराना	प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ क्र.-2021 एवं 202 प्लॉक बी द्वितीय तल शुभ लाभ प्राइम इन्दौर	85.0 लाख	श्रीमति जूही लिखार (पत्नि) एवं स्वयं के नाम पर दर्ज	एच.डी.एफ.सी. बैंक से ऋण द्वारा 2016 में डॉ. अफजल अली खजराना से कय किया गया।		कय स्वीकृत पत्र क्र. एफ-729/2015/18-5 सोपाल दिनांक-16.05.2016

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....
नीरज आनंद लिखार
नाम.....
मुख्य नगर निवेशक
पद.....
नगर निगम, सोपाल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. अमिता कुमार राजनि 2. वर्तमान धारित पद संयुक्त संचालक
संचालकालय, नया दया अप निवेश भोपाळ
 3. वर्तमान वेतन 117,200 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, प्रदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. प्रकोट (फ्लैट) जिला - भोपाळ	फ्लैट	—	लगभग 76 लाख	स्वयं के नाम पर	अनुमति प्राप्त कर वैक से तटल लेखद एवं स्वयं की वचन से हासिल कोई से श्रम किया गया है	—	—

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परन्तु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और तबसे वह उनके स्वागित्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

डॉ. अमिता कुमार राजनि
 पद संयुक्त संचालक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ० शुभाशीष बैनर्जी, 2. वर्तमान धारित पद संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर

3. वर्तमान वेतनमान 128000/- (बेसिक) अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला भोपाल ग्राम बदरखा सड़क	—	कृषि भूमि 2.00 एकड़	ज्ञात नहीं	स्वयं	वर्ष 1991 में शासकीय सेवा में आने के पूर्व अर्जित की गई।		—
जिला भोपाल ग्राम बरखेड़ा बोन्दर	—	कृषि भूमि 8.00 एकड़	ज्ञात नहीं	स्वयं	वर्ष 1991 में शासकीय सेवा में आने के पूर्व अर्जित की गई।	रुपये 2.50 लाख	—
जिला भोपाल, चूनाभट्टी	आवासीय भवन	—	ज्ञात नहीं	पत्नी श्रीमती सुष्मिता बैनर्जी	भूखण्ड वर्ष 2002 में पारिका गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित से कय कर वर्ष 2005 में भवन निर्माण किया गया।	रुपये 6.00 लाख (किराया)	संचालनालय से भूखण्ड कय करने के लिये पत्र क्रमांक 9708 दिनांक 31.01. 2002 को एवं भवन के लिये दिनांक 01/10/2004 को अनुमति प्राप्त।
जिला भोपाल, शहर भोपाल	आवासीय बैनर 23.25 वर्ग मीटर	—	ज्ञात नहीं	पत्नी एवं पिता श्री एस. के. बैनर्जी के संयुक्त नाम से	माताजी श्रीमती मिनेती बैनर्जी द्वारा दिनांक 30/08/2006 को सम्पत्ति हस्तांतरित की गई।	रुपये 1.08 लाख (किराया)	दिनांक 30/08/2006 को सूचना दी गई।
जिला मुम्बई, उप नगर चांदीवली	फ्लैट (78.13 वर्गमीटर)	—	ज्ञात नहीं।	स्वयं	दिनांक 27/08/2018 को ग्राम बाबड़िया कला स्थित 0.101 हे० भूमि विक्रय से प्राप्त राशि से दिनांक 16.04.2019 को कय किया गया।	रुपये 7.00 लाख (किराया)	26/09/2019 को दी गई सूचना पर शासन के पत्र क्रमांक एफ 7-5/2019/18-5 दिनांक 14/06/2019 द्वारा सूचना प्राप्त की जानकारी दी गई।
ग्राम बाबड़िया कला जिला भोपाल	भवन 92.99 वर्गमीटर के भूखण्ड पर	—	रुपये 80 लाख।	पत्नी (श्रीमती सुष्मिता बैनर्जी)	ससुर श्री ए.के.बागची की मृत्यु उपरान्त वसीयत के माध्यम से दिनांक 01/10/2021 को प्राप्त	—	दिनांक 26.12.2023 को श्रीमती सीमा राणा को रुपये 80 लाख में मेरी पत्नी द्वारा विक्रय कर दिया गया है।

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम, 1959 के नियम 18 3 के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी

सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर

नाम :- डॉ० शुभाशीष बैनर्जी

पदनाम :- संयुक्त संचालक, नगराणि इन्दौर

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

डॉ. नीलम खत्री

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन 65000 + D.A.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	फ्लैट	—	10 लाख	स्वयं के नाम से	HDFC Bank से लोन 9 लाख रुपये	—	शासकीय सेवा में आने के पूर्व लिया था

* जहां लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार गृह मालिकी की अवधि के परचाय या घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसने द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

डॉ. नीलम खत्री

सहायक संचालक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : हरीश चमन नन्द प्रजापति मोहेश्वरी 2. वर्तमान धारित पद : सहायक संचालक3. वर्तमान वेतन : 6,31,00/- DA : 04 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/07/2024

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम राजाकोटा रह मौसल जि पांडुरत	गृह		लगभग 32,44,80/-	स्वयं	पट्टा दि 1/5/2013 को पिता नन्द प्रजापति मोहेश्वरी से प्राप्त किया गया		स्वयं निवासी
ग्राम राजाकोटा रह मौसल जि पांडुरत		भूमि	लगभग 39,98,40/-	स्वयं	पिता नन्द प्रजापति मोहेश्वरी से दि 29/12/2014 को प्राप्त किया गया		

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधियों के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : माध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाय या घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर : Harish Chaman Nand Prajapati 03/01/2024नाम : हरीश चमन नन्द प्रजापति मोहेश्वरीपद : सहायक संचालक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राश

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सावन कोराल

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन 631000

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - रवलीन तहसील - झीकनगांव नाम - झीकनगांव	खूखोस (100+) 20X50	—	10 लाख	स्वयं	रवरीडाभाप	—	

* जहां लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आयुर्ण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनिवार्य है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाल यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

सावन कोराल

पद

सहायक संचालक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 01 जनवरी 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का(पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो ... संकल्प शुक्ला 2. वर्तमान धारित पद ... सहायक संचालक ...
3. वर्तमान वेतन ... 63,100.00 + D/A अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... जुलाई 2024

उस जिले उपसभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया " खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
जबलपुर	आवासीय मकान		60 लाख	श्री एस. के. शुक्ला (पिताजी)	खरीद	-	-
जबलपुर	आवासीय मकान		1 करोड़	श्रीमती उषा शुक्ला (माता)	खरीद	-	-

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 - ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(आचरण)नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वागित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर 
नाम संकल्प शुक्ला
पद सहायक संचालक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राश

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वेह हो.

विपुल माहुल

2. वर्तमान धारित पद

'संक्षायना'

२४ जून २०२०

3. वर्तमान वेतन 6,3100 /- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

.63100

1. अगली वेतनवृद्धि की तारीख

... १०/१२/२०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जहां लागू न हो काट दीजिए।

•• ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

••• इसमें अल्पकालीन पदों भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आयुक्त) नियम, 1959-के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक ब्राह्मण महोदय की अवधि के परचाया यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उत्तर यह उनके स्वागत्य की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ी या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यापार में।

हस्ताक्षर

• नाम

५८

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष-2024**

1.शासकीय सेवक का (पुरा)नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो:-सूश्री विनिता दर्श्यामकर,वर्तमान धारित पद:-सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश नीमच

2.वर्तमान वेतन:-63100+डी.ए.

3-अगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-जुलाई-2024.

उस जिले उप संभाग,तालुका,तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मुल्य	यदि स्वयं के नाम न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित हैं और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया***खरीद,पट्टा,बंधक,विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
एच.आई.जी.506 बी.डी.ए.काम्प्लेक्स 7 स्टॉफ शिवाजी नगर भोपाल (म.प्र.)	भवन	—	60,00000 (साठ लाख)	स्वयं के नाम पर है।	विरासर में प्राप्त पैतृक संपत्ति	—	—

* जहाँ लागु न हो काट दिजिये।

** ऐसे मामले में जहाँ मुल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो,वहां वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मुल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालिन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पटी:-मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम,1959 के नियम 18(3) के अधिन प्रथम श्रेणी,द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है,कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिनें की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य में नाम पर या किसी अन्य वयक्ति के नाम पर पट्टे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम. विनिता दर्श्यामकर

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राय

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

नारिेश पन्ने

2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन 63100/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सहो-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर... 1. 01/07/2024

नाम नारिेश पन्ने

पद सहायक संचालक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो:- श्री विनोद कुमार परस्ते
2. वर्तमान धारित पद :- प्रभारी उप संचालक
3. वर्तमान वेतन :- 78000/- 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख :- जुलाई-2024

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम रहेंगी पो0 सिमरिया तहसील व जिला डिंडोरी जिला जबलपुर	परिवार के निवास हेतु भवन जो कि पिता जी के नाम से है। आवासीय भवन	आवासीय 15 एकड़ लगभग सिंचित	25,00,000 45,00,000	पैत्रिक संपत्ति पिता -पुत्र स्वयं के नाम	- बैंक ऋण व वेतन से बचत द्वारा	संयुक्त संपत्ति भूमि की उपज का संयुक्त परिवार में उपयोग होता है। -	- संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 2842/स्था/नग्रानि/भोपाल दिनांक 29.06.2021 द्वारा भवन क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्यव्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे

हस्ताक्षर

नाम विनोद कुमार परस्ते
पद प्रभारी उप संचालक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, यदि

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो:

कविता नागर

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन 80300

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/01/2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ...खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इन्दौर	गृह	-	50.000000/-	स्वयं	होम लोन द्वारा	-	-
भोपाल	आवासीय फ्लैट	-	8.20.000/-	स्वयं	व्यक्त एवं परिवार के सहयोग से	-	-

- जहां लागू न हो काट दो बिना।
 • ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान निर्धारित के समर्थ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 • इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणियाँ : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह घोषित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और तब वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी प्रकार की भूमि पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के अधीन हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

कविता नागर

सहायक संचालक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष - 2024

फरवरी, 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रहा है

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 75700 + D.A. ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2024

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	शूरकण्ड-1 भवन-1		ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं	पति स्वयं	- पति के फिल्टर द्वारा दी गई राशि से - स्वयं की बचत एवं टाऊसिंग लोन लेकर	निरंक	

* जहां लागू न हो, काट दी जाए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरा दें।

हस्ताक्षर

02/02/2024

नाम

इंदु त्रिपाठी

पद

सहसक संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, मन्त्र.
भोपाल,

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

सहायक संचालक (स्वायत्त)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

श्रीमती साधना भांगुर

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 73200-1 D.4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2024

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अविनाश नगर महबूल हुजूर बरेल्ला पठानी के पास ओपल	गृह	-	8 लाख लगभग	स्वयं	स्वरीदा लाल केदार गृह निगम समिति ओपल 88-89	-	-

* जहां लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भर्ती की अवधि के परवाना पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 12/01/2024

नाम श्रीमती साधना भांगुर

पद सहायक संचालक (स्वायत्त)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. डा. विनीता वशिष्ठ पंडित

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक
संचालनालय नए नए3. वर्तमान वेतन 63,100 + PA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2024

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>भोपाल</u> Flat no. 18 अभिमुख ग्राउण्ड 12 No. Bus stop के पास शेरा कालोनी	Flat	—	approx 16-18 lakhs	—	खरीदा (पेट)	70,000/-	—

* जहां लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवाओं (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा. विनीता वशिष्ठ पंडित

पद

सहायक संचालक

29-1-2024

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024 [01-01-2024]

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सुदीप कुमार राय

2. वर्तमान धारित पद

सहायक सचिव

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले/उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - सालीवाडा तह - बेंगलूर जिला - मण्डला (मड.)	-	0.50 शेक	-	-	-	-	पैतृक सम्पत्ति सालीवाडा मण्डला जिला मंडला जिला मंडला जिला मंडला जिला मंडला जिला
ग्राम - बागमुकालिया तह - धुबरी जिला - मोहरा (मड.)	25.240 = 1000 बागमुकालिया मण्डला जिला मंडला जिला मंडला जिला मंडला जिला मंडला जिला	-	-	-	-	-	-

* जहां लागू न हो कोट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भर्ती की अवधि के परचाम यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व की राशियों/उसके द्वारा अर्जित सम्पत्तियों/विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

सुदीप कुमार राय

सहायक सचिव

मंडला जिला

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2023-2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : शालिनी अग्रवाल 2. वर्तमान धारित पद : अधीनस्थ अधिकारी

3. वर्तमान वेतन : 75,100/- B.A., अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/07/2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>मौजाल</u>	<u>गृह</u> <u>40-सुरकापुरी</u> <u>कालोनी कैलाश</u> <u>सुन्दरगढ़</u> <u>शेड मौजाल</u> <u>(म.प्र.)</u>	<u>—</u>	<u>98 लाख</u> <u>लगभग</u>	<u>पति</u>	<u>पति के पिता द्वारा</u> <u>पति के लायसेंस</u> <u>पति द्वारा L.I.C</u> <u>से संचालित निवेश</u>	<u>ब्यापक</u> <u>निवासर</u>	

* जहां लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मरने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

शालिनी अग्रवाल

अधीनस्थ अधिकारी

अधीनस्थ अधिकारी

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, यहाँ

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

बडी छत्ताद देवाने

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

85200

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

अगस्त 2024

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा गांव का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ग्राम - पोखरानी श्री ३५५३ - तहसील हिमानी जिला हरदो - न ५	आनादीन मकान ग्राम पोखरानी तहसील-हिमानी जिला-हरदो पूँछ सम्पत्ति में सम्पत्ति विरासत	15.51 एकड़	आंशिक हो किता ग्राम	स्वयं के नाम पर	पूँछ सम्पत्ति से विरासत में विरासत	लगभग 4.00 लाख	पूँछ आनादीन मकान सम्पत्ति सम्पत्ति
② ग्राम - गुआरनेडा, तहसील - हिमानी जिला हरदो न ५	—	15.26 एकड़	आंशिक हो किता ग्राम	श्रीमती देवता एन अंशित (पत्नी का पुत्र)	पूँछ सम्पत्ति विरासत से	लगभग 4.00 लाख	पूँछ विरासत किता से की आय सम्पत्ति हि-३ परिगर की आय से सम्पत्ति है

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परिचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर

8/11/2024

नाम

बडी छत्ताद देवाने

पद

सहायक संचालक